77

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1396—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—05—2015 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14/अ—12/2011—12.

.....

1—सुरेश कुमार तिवारी तनय रामकिशोर तिवारी
2—श्रीमती आशा सिंह पत्नी अरूण प्रताप सिंह
निवासीगण नरेन्द्र नगर रीवा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—रामप्रसाद वर्मा तनय सूर्यदीन वर्मा
निवासी नरेन्द्र नगर रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2—शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा
जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक क्रमांक—1 पूर्व से एकपक्षीय,
श्री आर0 पी0 पालीवाल, पैनल अभिभाषक अना0—2

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—05—2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

(संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कमांक–1 द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में ग्राम खुटेही की भूमि सर्वे कमांक 435/2 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक रीवा के सीमांकन प्रतिवेदन कमांक 151/रा0नि0म0/गिर्द/11 दिनांक 20.9.2011 के अनुसार कोई आपत्ति नहीं आने पर सीमांकन की पुष्टि की गई। इसी से परिवेदित होकर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। दिनांक 21.5. 2015 द्वारा निर्माण कार्य पर स्थगन दिया गया इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का बिना परिशीलन किये ही अनावेदक के पक्ष में सुविधा का आधार मानकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, जो आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत है जिस पर गौर न करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक महान कानूनी भूल की गई है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि आवेदिका कमांक–2 श्रीमती आशा सिंह ने भूमि स्वामी से भूमि कमांक 435 का अंश रकवा 0. 04 एकड़ जिसका खसरा कमांक 435/2 है रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा दिनांक 1.9. 2011 को 4,89,500/– रूपये में कय कर मालिकाना कब्जा दखल प्राप्त किया है, जिसका नामांतरण आवेदिका कमांक–2 के नाम हो चुका है। भवन निर्माण की अनुज्ञा नगर निगम से स्वीकृत है, प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन अपूर्तनीय क्षति के सिद्वांत आवेदिका के पक्ष में है जिसे प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना विवादित भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था जिस

पर गौर न करने में अधीनस्थ न्यायालय ने एक महान कानूनी भूल की है। सीमांकन प्रकरण में स्वत्व का निर्धारण नहीं होता स्वत्व का निराकरण अपीलीय प्रकरण में होता है। सीमांकन प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वत्व का विवाद उत्पन्न किया गया है, जिन आधारों पर यह निगरानी दायर की गई है वे आधार निराकृत हो चुके हैं, जैसे अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लंबित अपील का निराकरण अनावदेक के विरूद्व किया गया है जिसकी अपील आयुक्त के न्यायालय में की गई थी जहां से भी दिनांक 11.11.14 को अनावेदक की अपील खारिज कर दी गई है, इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वत्व का निराकरण कर दिया गया है तब उक्त सीमांकन प्रकरण में कतिथ स्थगन देने का कोई औचित्य नहीं था और न भूमिस्वामी को उसके स्वामित्व की भूमि के उपयोग एवं उपभोग में अवरोध पैदा करने का न तो अनावेदक को कोई अधिकार है और न आवेदक के विरूद्व कोई नेषेद्यज्ञा ही जारी की जा सकती थी। जिस पर गौर न करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक महान भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा कलेक्टर द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 21.5.15 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक द्वारा दिनांक 11.5.16 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण कैम्प रीवा पर नियत किया जावे, ग्वालियर राजस्व मण्डल मुख्यालय पर आने में असमर्थ है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि प्रकरण रीवा कैम्प पर लगाये जाने का अनुरोध किया गया था। आवेदक कमांक–1 एक पक्षीय है।

5–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिससे

भूमि खसरा क्रमांक 435 रकवा 0.04 एकड़ पर आवेदक द्वारा बाउण्ड्रीबॉल एवं मकान का निर्माणकराया जा रहा था। सुविधा का संतुलन अनावेदक के पक्ष में होने से कलेक्टर जिला रीवा द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिये गये थे जो उचित प्रतीत होता है। स्थगन देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर भी निर्भर करता है। **म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–52 की कण्डिका –4 में उल्लेख है कि '' किसी आदेश का निष्पादन रोक दिये जाने का निर्देश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझें''।** इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 21.5.15 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2011–12 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 21.5.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर